



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आश्विन 1945 (श10)

(सं० पटना 789) पटना, शनिवार, 30 सितम्बर 2023

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना
30 सितम्बर 2023

एस० ओ० 243, दिनांक 30 सितम्बर 2023—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम - 12, 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) नियमावली, 2023 है।
- (2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय ये 1 अक्टूबर, 2023 को प्रवृत्त होंगे।

2. बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमावली कहा गया है) के नियम 8 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(1) प्रत्येक व्यक्ति, जो धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्टर होने का दायी है और धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् “आवेदक” कहा गया है) सिवाय—

- (i) कोई अनिवासी कराधेय व्यक्ति;
- (ii) कोई व्यक्ति, जिससे धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित है;
- (iii) कोई व्यक्ति, जिससे धारा 52 के अधीन कर का संग्रहण करने की अपेक्षा है;

- (iv) कोई व्यक्ति, जो एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 14 में निर्दिष्ट गैर-कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता को भारत के बाहर किसी स्थान से आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्ति सेवाओं को प्रदाय कर रहा है या कोई व्यक्ति, जो धारा 14क में निर्दिष्ट व्यक्ति को भारत के बाहर किसी स्थान से आनलाइन मनी गेमिंग प्रदाय कर रहा है,

रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने से पूर्व सामान्य पोर्टल पर सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से अपने स्थायी लेखा संख्यांक, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 के भाग क में घोषणा करेगा :

परंतु प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो इनपुट सेवा वितरक है ऐसे इनपुट सेवा वितरक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पृथक् आवेदन करेगा ।”

3. उक्त नियमावली के नियम 14 में,—

- (i) शीर्ष में “पूर्ति करने वाले” शब्दों के पश्चात् “या भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को आनलाइन मनी गेमिंग की पूर्ति करने वाले” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;
- (ii) उपनियम (1) में, “ पूर्ति करने वाला” शब्दों के पश्चात् “या भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को आनलाइन मनी गेमिंग की पूर्ति करने वाला” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

4. उक्त नियमावली में नियम 31क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“31ख. आनलाइन गेमिंग, जिसके अंतर्गत आनलाइन मनी गेमिंग सम्मिलित है, की दशा में पूर्ति का मूल्य—इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी आनलाइन गेमिंग की पूर्ति का मूल्य, जिसके अंतर्गत आनलाइन मनी गेमिंग में अंतर्वलित अनुयोज्य दावों की पूर्ति सम्मिलित है, धन या धन का मूल्य, जिसके अंतर्गत वर्चुअल डिजीटल आस्तियां सम्मिलित हैं, के माध्यम से प्लेयर द्वारा या उसके निमित्त पूर्तिकार को कुल संदत्त रकम या संदेय या पूर्तिकार के पास जमा कुल रकम होगी:

परंतु पूर्तिकार द्वारा प्लेयर को चाहे किसी भी कारण से, जिसके अंतर्गत प्लेयर द्वारा पूर्तिकार को संदत्त रकम या पूर्तिकार के पास जमा रकम का किसी घटना में भाग लेने के लिए उपयोग न करना सम्मिलित है, वापस की गई कोई रकम की आनलाइन मनी गेमिंग की पूर्ति के मूल्य से कटौती नहीं की जाएगी ।

31ग. कैसिनो की दशा में अनुयोज्य दावों की पूर्ति का मूल्य—इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कैसिनो में अनुयोज्य दावों की पूर्ति का मूल्य निम्नलिखित के लिए खिलाड़ी द्वारा या उसके निमित्त संदत्त या संदेय कुल रकम होगी—

- (i) कैसिनो में उपयोग के लिए टोकन, चिप, सिक्कों या टिकट, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, का क्रय ;

- (ii) कैसिनो में किसी घटना में भाग लेना, जिसके अंतर्गत गेम, स्कीम, प्रतियोगिता या कोई अन्य कार्यकलाप या प्रक्रिया, जिसमें टोकन, चिप, सिक्कों या टिकट, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, का क्रय करना अपेक्षित नहीं है :

परंतु कैसिनो द्वारा खिलाड़ी को, टोकन, चिप, सिक्कों या टिकट की वापसी, जैसी स्थिति हो, के लिए वापस या प्रतिदाय की गई किसी रकम की कैसिनो में अनुयोज्य दावों की पूर्ति के मूल्य से कटौती नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरण—नियम 31ख और नियम 31ग के प्रयोजन के लिए किसी घटना, जिसके अंतर्गत गेम, स्कीम, प्रतियोगिता या कोई अन्य कार्यकलाप या प्रक्रिया सम्मिलित है, को जीतने के द्वारा प्लेयर द्वारा प्राप्त की गई किसी रकम को, जिसका प्रतिसंहरण किए बिना उक्त खिलाड़ी द्वारा किसी और घटना में प्रयोग किया जाता है, उक्त खिलाड़ी द्वारा या उसके निमित्त पूर्तिकार को संदत्त रकम या उसके पास जमा रकम नहीं माना जाएगा।”

5. उक्त नियमावली के नियम 46 के खंड (च) के परंतुक में, “परंतु” शब्दों के पश्चात्, “आनलाइन मनी गेमिंग की पूर्ति को अंतर्वर्तित करने वाले मामलों में या ऐसे मामलों में” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

6. उक्त नियमावली के नियम 64 के स्थान पर निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

“64. आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्ति सेवाओं का उपबंध करने वाले व्यक्तियों और भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को आनलाइन मनी गेमिंग की पूर्ति करने वाले व्यक्तियों द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति— प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो या तो भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को आनलाइन मनी गेमिंग का उपबंध कर रहा है या भारत से बाहर किसी स्थान से एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 14 में निर्दिष्ट गैर-कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता को या गैर-कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता से भिन्न किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्ति सेवाओं का उपबंध कर रहा है, पश्चातवर्ती कलेंडर मास या उसके भाग के बीसवें दिन को या उससे पूर्व प्ररूप जीएसटीआर-5क में विवरणी फाइल करेगा।”

7. उक्त नियमावली के नियम 87 के उपनियम (3) के दूसरे परंतुक में, “वाला व्यक्ति” शब्द के स्थान पर, “वाला व्यक्ति या धारा 14क में यथानिर्दिष्ट भारत में किसी व्यक्ति को भारत से बाहर किसी स्थान से आनलाइन मनी गेमिंग की पूर्ति करने वाला कोई व्यक्ति,” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

8. उक्त नियमावली के प्ररूप जीएसटी आरईजी-10 में,--

(i) शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात्:--

“भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को आनलाइन मनी गेमिंग की पूर्ति करने वाले व्यक्ति या भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में गैर-कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता को आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्ति सेवाओं की पूर्ति करने वाले व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन।”;

- (ii) भाग क में सारणी में, क्रम सं. (ii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“(iiक)	पूर्ति की किस्म	(क) आनलाइन मनी गेमिंग की पूर्ति (ख) आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्ति सेवाएं (ग) पूर्वोक्त (क) और (ख) दोनों”
--------	-----------------	---

- (iii) सारणी के भाग ख में,--

- (क) क्रम सं. 2 और क्रम सं. 3 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“2.	भारत में आनलाइन सेवा या आनलाइन मनी गेमिंग प्रारंभ करने की तारीख	दिन/मास/वर्ष
3.	वेबसाइट/प्लेटफार्म/आवेदक का नाम आदि, जैसा लागू हो, का यूनीफार्म रिसोर्स लोकेटर्स (यूआरएल) जिसके माध्यम से ऑनलाइन मनी गेमिंग या ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनर्प्राप्ति सेवाएं प्रदान की जाती हैं:	
	1.	
	2.	
	3. "	

- (ख) क्रम संख्या 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"7	घोषणा मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा और घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है । मैं,घोषणा करता/करती हूँ कि मैं रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूँ । मैं कर योग्य राज्यक्षेत्र में स्थित गैर-कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता(ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनर्प्राप्ति सेवाओं के मामले में)से और/या कर योग्य राज्यक्षेत्र में स्थित प्राप्तिकर्ता से (ऑनलाइन मनी गेमिंग के मामलों में)दायी कर को भारित और संग्रह करूंगा और इसे भारत सरकार के पास जमा करूंगा । स्थान तारीख हस्ताक्षर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता पदनाम:
----	---

(iv) अनुदेश में, मद 2 में, "धारा 14" शब्द और अंक के पश्चात्, "या धारा 14क, जैसी भी स्थिति हो," शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

9. उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटीआर-5क, के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात:-

"प्ररूप जीएसटीआर-5क

[नियम 64 देखें]

भारत के बाहर स्थित व्यक्ति द्वारा गैर कराधेय ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता (जैसा कि एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में परिभाषित है) और भारत में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनर्प्राप्ति सेवाओं की पूर्ति का ब्यौरा और भारत से बाहर स्थित व्यक्ति द्वारा भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन मनी गेमिंग की पूर्ति का ब्यौरा

1. पूर्तिकर्ता का जीएसटीआईएन-
2. (क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का विधिक नाम-
(ख) व्यापार नाम, यदि कोई हो-
3. भारत में विवरणी फाइल करने वाले प्राधिकृत अभिकर्ता का नाम-
4. अवधि:.....माह.....वर्ष
4(क) एआरएन:
4(ख) एआरएन की तारीख:
5. भारत में गैर कराधेय ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता को ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनर्प्राप्ति सेवाओं की कर योग्य जावक पूर्तियाँ

(रकम, रुपए में)

पूर्ति का स्थान (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)	कर की दर	कर योग्य मूल्य	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5

5क. भारत में गैर कराधेय ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता को ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनर्प्राप्ति सेवाओं की कर योग्य जावक पूर्तियों में संशोधन

(रकम, रुपए में)

माह	पूर्ति का स्थान (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)	कर की दर	कर योग्य मूल्य	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6

- 5ख. गैर कराधेय ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता के अतिरिक्त भारत में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनर्प्राप्ति सेवाओं की कर योग्य जावक पूर्तियाँ, जिस पर उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा रिवर्स चार्ज के आधार पर कर का भुगतान किया जाता है

(रकम रुपए में)

जीएसटीआईएन	कर योग्य मूल्य
1	2

- 5(ग) गैर कराधेय ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता के अतिरिक्त भारत में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनर्प्राप्ति सेवाओं की कर योग्य जावक पूर्तियों, जिस पर दिया गया कर रिवर्स चार्ज के आधार पर उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, में संशोधन

(रकम, रुपए में)

माह	मूल जीएसटीआईएन	संशोधित जीएसटीआईएन	कर योग्य रकम
1	2	3	4

- 5(घ) भारत में व्यक्ति को किए गए ऑनलाइन मनी गेमिंग की पूर्तियाँ

(रकम, रुपए में)

पूर्ति का स्थान (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)	कर की दर	कर योग्य मूल्य	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5

- 5(ड.) भारत में व्यक्ति को किए गए ऑनलाइन मनी गेमिंग की पूर्तियों में संशोधन

(रकम, रुपए में)

माह	पूर्ति का स्थान (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)	कर की दर	कर योग्य मूल्य	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6

6. ब्याज, या किसी अन्य रकम की गणना

(रकम, रुपए में)

क्रम. सं.	विवरण	पूर्ति का स्थान (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)	शोध रकम(ब्याज/अन्य)	
			एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5
1.	ब्याज			
2.	अन्य			
	कुल			

7. कर, ब्याज और अन्य संदाय योग्य और संदत्त रकम

(रकम, रुपए में)

क्रम. सं.	विवरण	संदाय योग्य रकम		विकलन प्रविष्टि सं.	संदत्त रकम	
		एकीकृत कर	उपकर		एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7
1.	कर दायित्व (सारणी 5, 5क, 5घ और 5ड.)					
2.	ब्याज (सारणी 6 पर आधारित)					
3.	अन्य (सारणी 6 पर आधारित)					

सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा और घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

स्थान

तारीख

हस्ताक्षर

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

पदनाम/प्रास्थिति"

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-12)3494)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

30 सितम्बर 2023

एस० ओ०. 243, दिनांक 30 सितम्बर 2023 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-12)3494)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 30th September 2023

S.O. 243, Dated 30th September 2023—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: —

1. Short title and commencement. —

- (1) These rules may be called the Bihar Goods and Services Tax (Amendment) Rules, 2023.
- (2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the 1st day of October, 2023.

2. In the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 8, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(1) Every person who is liable to be registered under sub-section (1) of section 25 and every person seeking registration under sub-section (3) of section 25 (hereafter in this Chapter referred to as "the applicant"), except—

- (i) a non-resident taxable person;
- (ii) a person required to deduct tax at source under section 51;
- (iii) a person required to collect tax at source under section 52;
- (iv) a person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a non-taxable online recipient referred to in section 14 or a person supplying online money gaming from a place outside India to a person in India referred to in section 14A under the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), shall, before applying for registration, declare his Permanent Account Number, State or Union territory in **Part A of FORM GST REG-01** on the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner:

Provided that every person being an Input Service Distributor shall make a separate application for registration as such Input Service Distributor.”

3. In the said rules, in rule 14, —

- (i) in the heading, after the words “**online recipient**” the letters and words “**or to a person supplying online money gaming from a place outside India to a person in India**” shall be inserted;
- (ii) in sub-rule (1), after the words “online recipient” the letters and words “or any person supplying online money gaming from a place outside India to a person in India” shall be inserted.

4. In the said rules, after rule 31A, the following rules shall be inserted, namely:—

“31B. Value of supply in case of online gaming including online money gaming.—

Notwithstanding anything contained in this chapter, the value of supply of online gaming, including supply of actionable claims involved in online money gaming, shall be the total amount paid or payable to or deposited with the

supplier by way of money or money's worth, including virtual digital assets, by or on behalf of the player:

Provided that any amount returned or refunded by the supplier to the player for any reasons whatsoever, including player not using the amount paid or deposited with the supplier for participating in any event, shall not be deductible from the value of supply of online money gaming.

31C. Value of supply of actionable claims in case of casino.— Notwithstanding anything contained in this chapter, the value of supply of actionable claims in casino shall be the total amount paid or payable by or on behalf of the player for –

- (i) purchase of the tokens, chips, coins or tickets, by whatever name called, for use in casino; or
- (ii) participating in any event, including game, scheme, competition or any other activity or process, in the casino, in cases where the token, chips, coins or tickets, by whatever name called, are not required:

Provided that any amount returned or refunded by the casino to the player on return of token, coins, chips, or tickets, as the case may be, or otherwise, shall not be deductible from the value of the supply of actionable claims in casino.

Explanation.— For the purpose of rule 31B and rule 31C, any amount received by the player by winning any event, including game, scheme, competition or any other activity or process, which is used for playing by the said player in a further event without withdrawing, shall not be considered as the amount paid to or deposited with the supplier by or on behalf of the said player.”

5. In the said rules, in rule 46, in clause (f), in the proviso, after the words “Provided that” the words “in cases involving supply of online money gaming or in cases” shall be inserted.

6. In the said rules, for rule 64, the following rule shall be substituted, namely: –

“64. Form and manner of submission of return by persons providing online information and data base access or retrieval services and by persons supplying online money gaming from a place outside India to a person in India.— Every registered person either providing online money gaming from a place outside India to a person in India, or providing online information and data base access or retrieval services from a place outside India to a non-taxable online recipient referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) or to a registered person other than a non-taxable online recipient, shall file return in FORM GSTR-5A on or before the twentieth day of the month succeeding the calendar month or part thereof.”

7. In the said rules, in rule 87, in sub-rule (3), in the second proviso, for the words and figures “section 14”, the words, letters, brackets and figures “section 14, or a person supplying online money gaming from a place outside India to a person in India as referred to in section 14A,” shall be substituted.

8. In the said rules, in FORM GST REG-10, –

- (i) for the heading, the following heading shall be substituted, namely—
“Application for registration of person supplying online money gaming from a place outside India to a person in India or for registration of person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a non-taxable online recipient in India.”;

- (ii) in Part A, in the table, after serial number (ii) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:

“(ii a)	Type of supply	(a) Supply of online money gaming (b) Supply of online information and database access or retrieval services (c) Both (a) and (b) above”
---------	----------------	--

- (iii) in Part B, in the table, —

- (a) for serial numbers 2 and 3 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:

“2.	Date of commencement of the online service or online money gaming in India.	DD/MM/YYYY
3	Uniform Resource Locators (URLs) of the website/ platform/name of the application, etc, as applicable through which online money gaming or online information and database access or retrieval services are provided: 1. 2. 3.”	

- (b) for serial number 7 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:

“7	Declaration <i>I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.</i> <i>I, _ hereby declare that I am authorised to sign on behalf of the Registrant. I would charge and collect tax liable from the non-taxable online recipient located in taxable territory (in case of online information and database access or retrieval services) and/or from the recipient located in taxable territory (in case of online money gaming) and deposit the same with Government of India.</i> Signature Place: _____ Name of Authorised Signatory: _____ Date: _____ Designation:”	
----	--	--

- (iv) in the Instructions, in item 2, after the words and figures “section 14”, the words and figures “or section 14A, as the case may be,” shall be inserted.

9. In the said rules, for FORM GSTR-5A, the following form shall be substituted namely:—

“FORM GSTR-5A

[See rule 64]

Details of supplies of online information and database access or retrieval services by a person located outside India made to non-taxable online recipient (as defined in Integrated Goods and Services Tax Act, 2017) and to registered persons in India and details of supplies of online money gaming by a person located outside India to a person in India

1. GSTIN of the supplier-
2. (a) Legal name of the registered person -
(b) Trade name, if any -
3. Name of the Authorised representative in India filing the return –

4. Period: Month - _____ Year –

4(a) ARN:

4(b) Date of ARN:

5. Taxable outward supplies of online information and database access or retrieval services made to non-taxable online recipient in India

(Amount in Rupees)

Place of supply (State/UT)	Rate of tax	Taxable value	Integrated tax	Cess
1	2	3	4	5

5A. Amendments to taxable outward supplies of online information and database access or retrieval services to non-taxable online recipient in India

(Amount in Rupees)

Month	Place of supply (State/UT)	Rate of tax	Taxable value	Integrated tax	Cess
1	2	3	4	5	6

5B. Taxable outward supplies of online information and database access or retrieval services made to registered persons in India, other than non-taxable online recipient, on which tax is to be paid by the said registered persons on reverse charge basis

(Amount in Rupees)

GSTIN	Taxable Value
1	2

5C. Amendments to the taxable outward supplies of online information and database access or retrieval services made to registered persons in India, other than non-taxable online recipient, on which tax is to be paid by the said registered persons on reverse charge basis

(Amount in Rupees)

Month	Original GSTIN	Revised GSTIN	Taxable value
1	2	3	4

5D. Supplies of online money gaming made to a person in India

(Amount in Rupees)

Place of supply (State/UT)	Rate of tax	Taxable value	Integrated tax	Cess
1	2	3	4	5

5E. Amendments to supplies of online money gaming made to a person in India
(Amount in Rupees)

Month	Place of supply (State/UT)	Rate of tax	Taxable value	Integrated tax	Cess
1	2	3	4	5	6

6. Calculation of interest, or any other amount

(Amount in Rupees)

Sr. No	Description	Place of supply (State/UT)	Amount due (Interest/ Other)	
			Integrated tax	Cess
1	2	3	4	5
1.	Interest			
2.	Others			
	Total			

7. Tax, interest, and any other amount payable and paid

(Amount in Rupees)

Sr. No.	Description	Amount payable		Debit entry no.	Amount paid	
		Integrated Tax	Cess		Integrated Tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tax Liability (based on Table 5, 5A, 5D and 5E)					
2.	Interest (based on Table 6)					
3.	Others (based on Table 6)					

Verification

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Place
Date

Signature
Name of Authorised Signatory
Designation /Status"

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-12) 3494)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima.

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 789-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>